

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 505  
25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

**विषय: दलहन उत्पादन में वृद्धि**

**505. श्रीमती राम्या हरिदास:**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दलहन कीबढ़ती कीमतों के परिणामस्वरूप उच्च घरेलू उत्पादनसुनिश्चित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप केसाथ उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) केप्रोत्साहन की पृष्ठभूमि में प्रति एकड़ में बढ़ोत्तरीहुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार और किसानों के बीचकोई समझ थी जो घरेलू जरूरतों को पूरा करनेहेतु उपज को बढ़ावा देने के लिए दलहन काउत्पादन कर रहे थे और अतिरिक्त उत्पादन यदिकोई हो, की देखभाल कर रहे थे; और
- (ग) यदि हां, तो क्या विदेश से दलहन केआयात को प्रतिबंधित करने के लिए किसानों केकंसोर्टियम द्वारा कोई प्रयास किया गया है औरयदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गईहै?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क) से (ग): किसानों के बुआई विकल्प मौसम की स्थितियों, वर्षा स्थिति, सिंचाई सुविधाओं, अंतर-फसल लाभदेयता, मिट्टी की स्थिति, अन्य समान फसलों से बेहतर लाभ की आशा आदि पर निर्भर करते हैं। तथापि, सरकार ने दलहन का क्षेत्र कवरेज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। सरकार देश के 29 राज्यों के 638 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन) का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार नेदेश में दलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं/पहले की हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- एनएफएसएम-दलहन कार्यक्रम के तहत दलहन का प्रजनक बीज उत्पादन शुरू किया गया है।

- भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर और इसके केंद्रों के माध्यम से भारत में दलहन के घरेलू उत्पादन के प्रमाणित बीजों को बढ़ाने के लिए 150 बीज केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- किसानों को मुफ्त में (100 प्रतिशत हिस्सा) दलहन के दस वर्ष से कम पुराने बीज मिनी किट की आपूर्ति।
- राज्यसरकारों के अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) भी दलहन के नवीनतम बेहतर उत्पादन तकनीकों पर प्रदर्शनियां लगा रहे हैं।
- राज्य सरकारों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए एनएफएसएम के तहत कुल आवंटन का 15 प्रतिशत दलहन के लिए चिन्हित है।
- देश के 11 राज्यों में लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से 145 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया गया है।

घरेलू मूल्य और उपलब्धता स्थिति के आधार पर, सरकार दलहन के सस्ते आयात को सीमित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती है। इस संबंधमें, पिछले वर्षों में दलहन आयात को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय **अनुबंध** में दिए गए हैं।

दिनांक 25.06.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्षों के दौरान दलहन के आयात को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

क्र.सं.	उपाय का विवरण			
1	दिनांक 28.03.2017 से तूर पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है।			
2	05.08.2017 से तूर (अरहर) के आयात पर प्रतिवर्ष दो लाख टन की मात्रात्मक सीमा लगाई गई है।			
3	21.08.2017 से उड़द और मूंग के आयात पर प्रतिवर्ष तीन लाख टन की मात्रात्मक सीमा लगाई गई है।			
4	दिनांक 08.11.2017 से मटर पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है।			
5	दिनांक 21.12.2017 से लेंटिल (मसूर) और चना पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।			
6	दिनांक 01 मार्च, 2018 से चना पर आयात शुल्क 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है।			
7	डीजीएफटी ने अरहर/तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मटर (पीला मटर, हरा मटर, दून मटर और कस्पा मटर सहित) की आयात नीति/नीति स्थिति अधिसूचित की है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयात की अनुमत मात्रा के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:			
	क्र.सं.	मद का विवरण/आईटीसीएचएस कोड	अनुमत मात्रा	अधिसूचना संख्या
	1	मटर (पीला मटर, हरा मटर, दून मटर और कस्पा मटर सहित) एक्विजिम कोड: 07131000 07139010 और 07139090 के अधीन	1.5 लाख मिलियन टन	एस.ओ. 1479(ई) दिनांक 29.03.2019
	2	मूंग दाल एक्विजिम कोड: 07133110 07139010 और 07139090 के अधीन	1.5 लाख मिलियन टन	एस.ओ. 1478(ई) दिनांक 29.03.2019
	3	उड़द दाल एक्विजिम कोड: 07133190 07139010 और 07139090 के अधीन	1.5 लाख मिलियन टन	एस.ओ. 1480(ई) दिनांक 29.03.2019
	4	अरहर (तूर दाल) एक्विजिम कोड: 7136000 07139010 और 07139090 के अधीन	02 लाख मिलियन टन	एस.ओ. 1481(ई) दिनांक 29.03.2019
8	राजस्व विभाग ने दिनांक 15 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 16/2019-सीमा शुल्क द्वारा लेंटिल (मसूर) पर न्यूनतम सीमा शुल्क वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।			